प्रेस नोट दिनांक-25.11.2020

(1). आज दिनांक 25.11.2020 को जिलाधिकारी महोदय श्री शेषमणि पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस कार्यालय सोनेपुर स्थित राघव प्रेक्षागार में संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

1. सड़को पर ब्लैक हाटस्पाट चिन्हित करने हेतु टीआई एवं एरटीओ को निर्देशित किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो पाये।

2. सभी प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी को अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग करने एवं उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

3. आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसका सत्यापन कराकर शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने हेत निर्देश दिये गये हैं।

4. माननीय मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार पराली न जलाये जाने के सम्नब्ध में किसानों से मिलकर उन्हें जागरूक करे कि पराली खेतों मे न जलायें, प्रदूषण से बचने हेतु किसानों को बताया गया।

5. अन्ना पशुओं को सड़को पर बैठने व टहलने से रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

6. एमएलसी/प्रधानी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये शराब की दुकानों को 29.11.2020 से बन्द कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी ध्यान दे कि कहीं अवैध शराब न बनायी जाये व उसकी बिक्री न होने पाये।

7. प्रायः देखने में आता है कि भूमि विवाद से सम्बन्धित में जो प्रार्थना पत्र थानों में प्राप्त होते हैं उसमें जाचं अधिकारी द्वारा यह अंकित करके जांच आख्या भेजी जाती है कि प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, इस प्रकार की रिपोर्ट प्रेषित न करके उसे थाना दिवस या तहसील दिवस में रखा जाये ताकि उसका सयुंक्त रूप से वास्तविक समाधान किया जा सके।

8. प्रभारी निरीक्षक व तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जो भी पीडित इनके पास प्रार्थना पत्र लेकर जायें उनके साथ मधुर व्यवहार करते हुये उनके प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करते हुये निस्तारित करवायें।

9. यह माह नवम्बर, यातायात माह होने के बावजूद बहुत कम मात्रा में चालान किये जा रहे हैं, 02 पहिया वाहनों पर 03/03 सवारी जाती है एवं उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है व डग्गामार वाहनों पर बेतरतीब ढंगों से सवारी भरकर ले जाते हैं, डग्गामार वाहनों का चालान करें । साथ ही यह देखने में आ रहा है कि दुकानदार भी मास्क लगाकर नहीं बैठ रहें हैं इनके विरुद्ध भी संयुक्त रूप से दुकान पर पहुंचकर चालान करने हेतु निर्देशित किया गया। दुकानदारों से अभद्रता न करें व सख्ती से नियमों का पालन कराये जाने हेतु निर्दशित किया गया। साथ ही चार पहिया वाहनों के शीशों पर लोग काली फिल्म लगाये हुये हैं इनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही हेतु टीआई को निर्देशित किया गया।

(2). आज दिनांक -25.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वार पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराधिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, इस गोष्ठी में महोदय द्वारा निम्न आदेश-निर्देश दिये गये:

1. जिन अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही होती है उनके विरुद्ध 02 दिनों के अन्दर ढोल/डुग्गी/लाउड स्पीकर बजाकर गांव /मोहल्लों में यह पुकार करवायें कि यह व्यक्ति महिला अपराधी तथा अन्य अपराधों में सम्मिलित होने के कारण इसके विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है जिससे आमजन में इसका सन्देश जाये व अन्य लोग भी अपराध करने से बचें.

2. सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि एक योजना बना लें कि प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को बीट में भेजेंगे तथा हल्का/बीट प्रभारी के साथ किसी एक गांव में प्रतिदिन विजिट करें और उसकी सूचना भी भेजेंगें।

3. हिस्ट्रीशीटर के वार्षिक टिप्पणी(भौतिक सत्यापन) जो लिखी जाती है में उनका पूर्ण विवरण, नाम पता, घर का विवरण, उनके परिवारीजनों का विवरण, कहां निवासित है , उनकी आय का स्त्रोत, वर्तमान में क्या कर रहें हैं अवश्य अंकित किया जाये तथा हिस्ट्रीशीटर के जमानतदारों का भी पूर्ण विवरण अंकित किये जाने हेतु निर्दशित किया गया।

4. रात्रि गणना में प्रतिदिन की चेकिंग उसका पूर्ण विवरण से अपने कर्मचारियों को ब्रीफ करें थानों में अवैध शराब गांजा की बिक्री की शिकायत प्राप्त हो रहीं हैं, इस पर निगरानी/कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

5. महिला हेल्पडेस्क क महिलाओं के थाने आने पर उनकी सुविधानुसार थानों पर महिला शौचालय की व्यवस्था प्रत्येक थानों की जाये जहां पर सीसीटीवी कैमरा संचालित हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा में माइक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है और रात्रि में औचक निरीक्षण किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा किया जा सकता है ऐसी स्थित में महिला हेल्पडेस्क पर महिला कर्मचारी मौजूद रहे जैसा कि शासन के निर्देशानुसार 24 घण्टे मौजूद रहने की व्यवस्था की गयी है।

6. जो भी महिला हेल्पडेस्क में प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है उनको महिला हेल्पडेस्क में उपलब्ध कम्प्यूटर में स्कैन कर के रखेंगें व एक एक्सल शीट बनाकर उसमें क्षेत्रीय अस्पताल के डाक्टर/प्रधानाध्यापक/लेखपाल/राजस्व के अधिकारियों व अन्य के मोबाइल नम्बर अवश्य रूप से फीड करके रखेगें, महिला हेल्पडेस्क में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही के परिणाम सहीं ढंग से चेक नहीं किये जा रहे हैं, मात्र खानापूर्ति न की जाये बल्कि इन्हें पूर्ण रूप से चेक करके ही अग्रसारित किया जाये व रजिस्टर पर अवश्य अंकित किया जाये।

7. प्रायः देखने में आ रहा है कि प्रायः सीयूजी स्वयं के द्वारा अटेन्ड नही किया जा रहा है, निर्देशानुसार इसे स्वयं अटेन्ड करें।

8. दिनांक 30.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री के आगमन द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा अपने क्षेत्र के कार्यो के अन्तर्गत थाना रैपुरा के अतिरिक्त कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल कुमार सिंह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है तथा अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात उ0नि0 श्री छोटू सिंह आरक्षी राजकुमार, आरक्षी ताजुद्दीन , आरक्षी आलोक राय को माननीय मुख्य मंत्री कार्यक्रम एवं दीपावली अमावस्या मेला को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह को एण्टी रोमियो में सक्रियता से कार्य करने हेतु व थाना मानिकपुर में नियुक्त महिला आरक्षी पूजा चन्देरिया व प्रियंका यादव को मिशन शक्ति अभियान में योगदान दिये जाने हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

आपराध गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकास व समस्त प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी व स्टेनों एसपी श्री कमलेश कुमार राव उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश पाण्डेय थाना तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 236/2020 धारा 352/353/332/290/504 भादवि0 व 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट के वांछित अभियुक्त गुड्डन मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री दिनेश पाण्डेय थाना मऊ
2. आरक्षी नागेन्द्र

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा जनसेवा इण्टर कालेज, बल्दाऊगंज, शंकर बाजार, गंगाजी रोड, एण्टी रोमियों टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कोलमजरा, सिंगलपुरवा, बसिनिया, पाटा पुरवा, उसरी पुरवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा खटवारा, गोसाईपुर, धोरहारा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा राशन की दुकान में, मंदिर के पास भ्रमण कर छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098,

स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियों टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।